न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –12/2024 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0–2024/99

कमलेश कुमार आत्मज श्री मांगीलाल निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील चेचट जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखड अधिकारी रामगंजमण्डी जिल कोटा राज0 (एन.एच. 148 एन)
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना, कार्यान्वयन ईकाई कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी 5 दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 एवं मध्यस्थ व सुलह अधिनियम 1996

उपस्थितः–

1. श्री वी0के0 राठौर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री गोविन्द नामदेव, अभिभाषक अप्रार्थी 1 व 2

निर्णय

दिनांक :– 06 .01.2026

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं मध्यस्थ व सुलह अधिनियम 1996 के तहत प्रस्तुत किया है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन दिल्ली –बड़ोदरा एक्सप्रेसवे परियोजना के निमार्ण एवं अनुरक्षण के लिए तहसील चेचट की अन्य भूमियों के साथ प्रार्थी की ग्राम कंवरपुरा में खसरा नं0 676 रकबा 2.70 हे0 में से प्रार्थी का 2/3 अविभाजित हक हिस्सा यानि 1.80 हे0 भूमि में से रकबा 0.1093 हे0 भूमि अवाप्त की गई उक्त खसरा नम्बर 676 में से अधिग्रहण करने के पश्चात प्रार्थी की शेष भूमि प्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर 827/676 रकबा 2.5907 हे0 दर्ज की गई, किन्तु मौके पर प्रार्थी की भूमि पर 0.1093 के स्थान पर 1.044 हे0 भूमि मौके पर अवाप्त की गई, तथा 2.5907 हे0 के स्थान पर 1.656 हे0 भूमि पर कब्जा दिया गया । इस प्रकार अप्रार्थी ने 0.9347 अधिक भू–भाग पर अधिग्रहण किया जाना बताया है तथा जिसका मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है ।
2. इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 02 की ओर से एडवोकेट श्री गोविन्द नामदेव का वकालतनामा पेंश हुआ। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है । वकील उभय पक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।
3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की ग्राम कंवरपुरा तह0 चेचट में खाता संख्या 187 पुराना–200, खसरा नम्बर 676 रकबा 2.70 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है । प्रतिपक्षी कम 2 ने अधिसूचना दिनांक 6.9.2018 के पश्चात धारा 3–क के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 24.01.2019 को प्रकाशित की गई और उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के अनुसार खसरा नम्बर 676 रकबा 0.1093 हे0 अधिग्रहण हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई । प्रतिपक्षी कम 1 ने अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर प्रार्थी को दिनांक 15.11.2019 को नोटिस अन्तर्गत धारा–3 (ई) (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी की खसरा नम्बर 676 रकबा 0.1093 हे0 का मुआवजा 1,74,121/– निर्धारित कर नोटिस प्रेषित किया, नोटिस में वर्णित औपचारिकता के आधार पर प्रार्थी ने उक्त 0.1093 हे0 भूमि का मुआवजा प्राप्त किया ।

3/1 उक्त खसरा नम्बर 676 में से 0.1093 हे0 अधिग्रहण करने के पश्चात रकबा 2.5907 हे0 बची, और प्रार्थी की शेष भूमि प्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर927/676 रकबा 2.5907 हे0 दर्ज कर दी गई लेकिन प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी की भूमि पर 0.1093 हे0 स्थान पर 1.044 हे0 भूमि को मौके पर अवाप्त किया गया है । प्रार्थी के पास मौके पर 2.5907 हे0 के स्थान परपर 1.656 हे0 भूमि पर प्रार्थी को कब्जा दिया गया है, इस प्रकार अप्रार्थी ने 0.9347 हे0 अधिक भू–भाग पर अधिग्रहण किया गया है जिसका कोई मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है । प्रतिपक्षीगण ने उपरोक्त खसरा नम्बर 676 में से 0.1093 हे0 का मुआवजा दिया गया है जबकि 1.044 हे0 भूमि अधिग्रहण की गई है इस प्रकार प्रार्थी को 0.9347 हे0 रकबे का मुआवजा अदा नहीं किया गया है ।

3/2 प्रार्थी प्रतिपक्षी को सम्पूर्ण अवाप्त भूमि का मुआवजा हेतु मांग की गई जिस पर पतिपक्षी कम 1 व 2 के प्रतिनधियों ने पैमाईश मौका रिपोर्ट दिनांक 12.5.2023 तैयार की गई जिसमें खसरा नम्बर 676 का रिकार्ड व मौका स्थिति के अनुसार 0.9347 हे0 भूमि का अन्तर पाया गया । प्रतिपक्षी ने प्रार्थी को अधिसूचना अन्तर्गत धारा–3क दिनांक 24.01.2019 के आधार पर मुआवजा निर्धारित कर अदा किया गया है, जबकि प्रतिपक्षी के द्वारा पूर्व में तैयार की गई डी.पी.आर. के बाबत आपत्तियां आने पर प्रतिपक्षी ने पूर्व डी.पी.आर. को परिवर्तित किया और मौके पर निमार्ण कार्य नई डी.पी.आर. के आधार पर किया गया , लेकिन प्रतिपक्षी ने नई डी.पी.आर. बनाने के पश्चात धारा–3क राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत संशोधित अधिसूचना प्रकाशित नहीं की और पूर्व अधिसूचना पर ही मुआवजा निर्धारित कर दिया गया । प्रार्थी के द्वारा अतिरिक्त भूमि के बाबत मुआवजे की मांग करने एवं प्रतिपक्षीगण को पैमाईश मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात भी अतिरिक्त भू–भाग का मुआवजा ना करने पर धारा 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया, प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर मौके की पैमाईश व जांच किये बिना फौरी तौर पर यह जवाब प्रस्तुत किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डी.पी.आर. कोडिनेट के अनुसार निमार्ण कार्य किया है और अतिरिक्त भूमि पर कोई उपयोग नहीं किया गया है जबकि प्रतिपक्षी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 12.5.2023 को पैमाईश मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी, प्रतिपक्षी ने इस तथ्य को भी छिपाया गया कि डी.पी.आर में संशोधन किया गया था । इसी कारण अतिरिक्त भूमि का उपयोग किया गया ।

3/3 प्रतिपक्षीगण अतिरिक्त भूमि 0.9347 हे0 भूमि का मुआवजा देने हेतु बाध्य है । जिसमें से प्रार्थी का 2/3 हिस्सा 0.6231 हे0 का प्रार्थी जिला स्तरीय कमेटी की दर के अनुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रतिपक्षीगण के द्वारा राशि अदा ना करने पर प्रतिपक्षीगण से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है आदि तथ्यों के आधार पर उपरोक्त प्रर्थना पत्र प्रस्तुत किया । भूमि अवाप्ति अधिकारी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने प्राथ्रना पत्र में वर्णित तथ्यों को विवादित नहीं होना माना ओर निमार्ण कार्य डी.पी.आर कोडिनेर के आधार पर निमार्ण करने का कथन किया गया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 676 व 675 की अधिक भूमि 0.9347 हे0 में से प्रार्थी का 2/3 हिस्सा 0.6231 हे0 भूमि का मुआवजा डी एल सी दर एवं भूमि अर्जन पुर्नवासन प्रतिकर पारदर्शिता अधिनियम के अनुसार दिलवाये जाने की कृपा करें । तथा उस पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी दिलवाया जावें ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम कंवरपुरा तहसील चेचट के खसरा नं0 676 रकबा 2.70 हे0 में से प्रार्थी के 2/3 अविभाजित हक से संबंधित है जो विवादित नहीं है । अधिसूचना दिनांक 6.9.2018 के जारी होने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (घ) की उप धारा 1 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 24.01.2019 को प्रतिशत की गई के कम संख्या 329 पर खसरा नं0 676 रकबा 0.1093 हे0 अधिग्रहण किये जाने की सूचना प्रकाशित की गंई तथा उक्त अधिसूचना दिनांक 24.01.2019 के अनुसार प्रार्थी की खसरा नम्बर 676 में कुल 0.1093 हे0 भूमि को अधिग्रहण योग्य माना जाना विवादित नहीं है । प्रार्थना पत्र के चरण कम 5 में विपक्षी सं0 1 के द्वारा अधिग्रण की कार्यवाही पूर्ण कर प्रार्थी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(ई) (1) के अन्तर्गत खसरा नम्बर 676 रकबा 0.10938 हे0 की मुआवजा राशि 1,74,121/– रूपये निर्धारित कर नोटिस दिया जाना विवादित नहीं है । प्रार्थी के स्वयं के कथनों के अनुसार उसने मुआवजा प्राप्त कर लिया है । प्रार्थना पत्र

के चरण क्रमांक 10 के कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है स्वीकार नहीं है । अधिसूचना दिनांक 6.9.2018, 24.01.2019 के अनुसार में ही प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि का अधिग्रहण कर दिनांक 15.11.2019 को नोटिस जारी करते हुए प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है । अधिसूचना में वर्णित भूमि का ही विपक्षी सं0 2 के द्वारा अधिग्रहण किया गया है । प्रार्थी ने उसके स्वामित्व के अधिक भू भाग पर अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में असत्य एवं भ्रामक तथ्य अंकित किये है एवं उसके सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य राजस्व रिकार्ड, पटवारी हल्का की रिपोर्ट नक्शा ट्रेस, नक्शा लठ्ठा आदि प्रस्तुत नहीं किये है । यहां पर यह अंकित किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि का अधिग्रहण भूमि अवाप्ति योजना (Land Acquisition Plan) के अनुसार ही किया गया है । भारतीय राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डी पी आर कोर्डिनेट के अनुसार निमार्ण कार्य किया है और अतिरिक्त अन्य भूमि का उपयोग नहीं किया गया है । प्रार्थी ने मिथ्या कथनों का समावेश किया है । प्रार्थी के मन में दुर्भावना घर कर चुकी है और वह अनावश्यक आधारों पर अतिरिक्त राशि प्राप्त करना चाहता है । प्रार्थी को भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत उचित राशि का भुगतान कर दिया गया है । प्रार्थी अतिरिक्त रूप में कोई भी राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । यह प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवाप्तशुदा भूमि के अलावा शेष भूमि के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि माननीय श्रीमान को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वज्ञरा मध्यस्थ (Arbitrator) नियुक्त किया गया है । इस कारण श्रीमान को उपरोक्त प्रकरण में क्षैत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन दिल्ली –बड़ोदरा एक्सप्रेसवे परियोजना के निमार्ण एवं अनुरक्षण के लिए तहसील चेचट की अन्य भूमियों के साथ प्रार्थी की ग्राम कंवरपुरा में खसरा नं0 676 रकबा 2.70 हे0 में से प्रार्थी का 2/3 अविभाजित हक हिस्सा यानि 1.80 हे0 भूमि में से रकबा 0.1093 हे0 भूमि अवाप्त की गई उक्त खसरा नम्बर 676 में से अधिग्रहण करने के पश्चात प्रार्थी की शेष भूमि प्रार्थी के खाते में खसरा नम्बर 827/676 रकबा 2.5907 हे0 दर्ज की गई, किन्तु मौके पर प्रार्थी की भूमि पर 0.1093 के स्थान पर 1.044 हे0 भूमि मौके पर अवाप्त की गई, तथा 2.5907 हे0 के स्थान पर 1.656 हे0 भूमि पर कब्जा दिया गया । इस प्रकार अप्रार्थी ने 0.9347 अधिक भू–भाग पर अधिग्रहण किया जाना प्रार्थी ने बताया है तथा जिसका मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया जाना बताया । इसके विपरीत एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रार्थी के कथनों का बलपूर्वक खण्डन करते हुए अपने जवाब में तर्क दिया है कि परियोजना का निमार्ण कार्य परियोजना के लिए तैयार भूमि अवाप्ति योजना (Land Acquisition Plan) के अनुसार ही किया गया है । भारतीय राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डी पी आर कोर्डिनेट के अनुसार निमार्ण कार्य किया है और अतिरिक्त अन्य भूमि का उपयोग नहीं किया गया है । प्रार्थी ने मिथ्या कथनों का समावेश किया है । प्रार्थी के मन में दुर्भावना घर कर चुकी है और वह अनावश्यक आधारों पर अतिरिक्त राशि प्राप्त करना चाहता है ।

6. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि प्रार्थी की अवाप्त भूमि खसरा नं0 676 रकबा 2.70 हे0 में से प्रार्थी का 2/3 अविभाजित हक हिस्सा यानि 1.80 हे0 भूमि में से रकबा 0.1093 हे0 भूमि अवाप्त की गई किन्तु प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी की भूमि ख0नं0 676 की 0.1093 के स्थान पर 1.044 हे0 भूमि भूमि अर्थात खसरा नं0 676 0.6231 हे0 अधिक भूमि अवाप्त करने के कथनों की पुष्टि में वकील प्रार्थी ने कोई ठोस आधार एवं तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे प्रार्थी के कथनों को स्वीकार किया जा सकें । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)